रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2019/आश्विन 22, 1941
No. 605]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2019/ASVINA 22, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 779(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9क में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना को सा.का.नि. 191(अ), दिनांक 26 मार्च 2013 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. (1) इस आदेश को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनिमयन) संशोधनआदेश, 2019 कहा जाएगा ।

   (2) यह आदेश राजकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2013 में,

(क) उपवाक्य 4 में-

(i) उप-उपवाक्य (1) में, प्रारंभिक भाग जोकि "कोई भी व्यक्ति उत्पादन नहीं करेगा, और अंतिम भाग जोकि स्वापक नियंत्रण ब्यौरों के क्षेत्रीय निदेशक से समाप्त होता है", निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

"(1) कोई भी व्यक्ति अनुसूची-क में सम्मिलित किसी भी नियंत्रित पदार्थ की खरीद/बेच किसी वेबसाइट, सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से उत्पादन, वितरण, बेच, खरीद, कब्जा, भंडार, उपभोग, खरीद या वितरण या मध्यस्थता नहीं करेगा, जब तक कि उसे स्वापक नियंत्रण ब्यौरों के क्षेत्रीय निदेशक से फार्म क में एक यूनिक पंजीकरण नंबर नहीं जारी किया जाता है";

(ii) उप-उपवाक्य (5) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि दैनिक खातों का रख-रखाव उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जोकि नियंत्रित पदार्थों का उत्पादन, वितरण, बेच, खरीद, कब्जा, भंडार या उपभोग नहीं करते हैं";

(iii) उप-उपवाक्य (6) में, निम्नलिखित उप-उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(6) प्रत्येक व्यक्ति जोकि उप-उपवाक्य (1) के अंतर्गत पंजीकृत हैं उन्हें फार्म-ई, फार्म-एफ या फार्म-एल, जैसी भी स्थिति हो में अपना त्रैमासिक रिटर्न भरकर उस संबंधित स्वापक नियंत्रक के जोनल डायरेक्टर के पास जमा करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह क्षेत्र आता हो";

(ख) फार्म-क में, शीषर्क "अनुसूची-क के नियंत्रित पदार्थों के विनिमार्ण/वितरण/बिक्री/खरीद/कब्जे में रखना/भंडार करने/उपभोग के लिए पंजीकरण" बाकी स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"अनुसूची-क के नियंत्रित पदार्थों के वेबसाईट, सोशल मीडिया या अन्य किसी तरीके से विनिर्माण/वितरण/ बिक्री/खरीद/ कब्जे मे रखने/भंडार करने/बिक्री/खरीद के लिए प्रस्तावित करने या बिक्री/खरीद में वितरण या मध्यस्थता करने के लिए पंजीकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा "

(ग) फार्म-क में, शीषर्क "अनुसूची-क के नियंत्रित पदार्थों के विनिमार्ण/वितरण/बिक्री/खरीद/कब्जे में रखना/भंडार करने/उपभोग के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन" बाकी स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"अनुसूची-क के नियंत्रित पदार्थों के वेबसाईट, सोशल मीडिया या अन्य किसी तरीके से विनिर्माण/वितरण/ बिक्री/खरीद/ कब्जे मे रखने/भंडार करने/बिक्री/खरीद के लिए प्रस्तावित करने या बिक्री/खरीद में वितरण या मध्यस्थता करने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा "

(घ) फार्म क पश्चात निम्नलिखित फार्म को अंतस्थापित किया जाएगा:-

"फार्म–ठ

(उपवाक्य 4 के उप-उपवात्तय (6) को देखें)

अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों के लिए ब्रोकर से पूछे जाने वाले /उसके द्वारा कार्यवाही किए जाने वाले पूछताछ/बीटूबी पोर्टल की त्रैमासिक रिटर्न

त्रैमासिक रिटर्न की अंतिम तारीख ....

1. उपवाक्य................ के उप-उपवाक्य................. के तहत जारी पंजीकरण सं..............................

2. ब्रोकर /मध्यस्थ का नाम

....

....

3. पता..

....

4. पोर्टल का विवरण ....

5. इस त्रैमासिक के दौरान कुल जितनी जांच करवाई गई ....

6. नियंत्रित पदार्थों के उपभोक्ता का बिक्रीकर्त्ता/आपूर्तिकर्त्ता, वितरक, निर्यातक के लिए ब्रोकर/ बी2बी प्लेटफार्म द्वारा किए जांच का विवरण:-

जांच की तारीख/ पोस्टिंग पंजीकरण	नियंत्रित पदार्थ और मात्रा, यदि कोई हो और उद्धृत मूल्य	इच्छुक खरीदाता का नाम, पता, दूरभाष सं., ईमेल	यूआरएन सं. जारी की गई	आईपी पता	भुगतान का विवरण	पैन/सीआईएन/जीएसटीसं./ आईईसी कोड, औषधि का लाइसेंस	प्राप्त पंजीकरण की प्रति

7. नियंत्रित पदार्थों के आयातक, खरीदाता या उपयोगकर्त्ता के लिए ब्रोकर/ बी2बी प्लेटफार्म द्वारा किए जांच का विवरण:-

जांच की तारीख/ पोस्टिंग पंजीकरण	नियंत्रित पदार्थ और मात्रा, यदि कोई हो और उद्धृत मूल्य	इच्छुक खरीदाता का नाम, पता, दूरभाष सं., ईमेल	यूआरएन सं. जारी की गई	आईपी पता	भुगतान का विवरण	पैन/सीआईएन/ जीएसटी सं./ आईईसी कोड, औषधि का लाइसेंस	प्राप्त पंजीकरण की प्रति

यह प्रमाणित किया जाता है कि दी गई सूचना सही है और सु:संगत दस्तावेज/रिकार्ड मेरे/हमारे पास उपलब्ध है।

हस्ताक्षर.....................

नाम...........................

पदनाम.......................

दिनांक ....

नोट : ऐसे नियंत्रित पदार्थ जो अनुसूची क में नहीं है उससे संबंधित घरेलू बेच और खरीद की जांच का विवरण भरा जाना आवश्यक नहीं है।"

[फा. सं. एन/11012/3/2010-एनसी-II-पार्ट-I]

बिश्वजीत सरकार, अवर सचिव

नोट : प्रधान आदेश जिसे सा.का.नि. 191(अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे सा.का.नि.186(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2019

G.S.R. 779(E).—In exercise of the powers conferred by section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue number G.S.R. 191(E), dated the 26th March, 2013, namely: -

1. (1) This order may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Amendment Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013,

(a) in clause 4 -

(i) in sub-clause (1), for the portion beginning with "No person shall manufacture, and ending with Zonal Director of Narcotics Control Bureau", the following shall be substituted namely: -

"(1) No person shall manufacture, distribute, sell, purchase, possess, store, consume, offer for sale or distribution or mediate in the sale/purchase through website, social media or in any other manner of any controlled substance included in Schedule-A, without a unique registration number in Form-A, issued by the Zonal Director of the Narcotics Control Bureau";

(ii) in sub-clause (5), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the requirement of maintenance of daily accounts is not applicable to persons who do not manufacture, distribute, sell, purchase, possess, store or consume controlled substances";

(iii) in sub-clause (6), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

"(6) Every person who has been registered under sub-clause (1) shall file quarterly return in Form-E, Form-F, or Form-L, as the case may be, to the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau having jurisdiction over the area";

(b) in Form A, for the heading "Registration for manufacture/distribution/sale/purchase/possession/ storage/consumption of controlled substance in Schedule-A" the following heading shall be substituted, namely: -

"Registration for manufacture/distribution/sale/purchase/possession/storage/consumption/offer for sale or distribution or mediate in sale/purchase through website, social media or in any other manner of controlled substances in Schedule-A";

(c) in Form B, for the heading "Application for registration for manufacture/distribution/sale/purchase/ possession/storage/consumption of controlled substances in Schedule-A" the following heading shall be substituted, namely: -

"Application for registration for manufacture/distribution/sale/purchase/possession/storage/consumption/offer for sale or distribution or mediate in sale/purchase through website, social media or in any other manner of controlled substances in Schedule-A";

(d) After Form K, the following form shall be inserted namely: -

"FORM-L

(See sub-clause (6) of clause 4)

QUARTERLY RETURN FOR INQUIRES HOSTED/DEALT BY BROKER/B2B PORTALS FOR CONTROLLED SUBSTANCES IN SCHEDULE-A

Return for the quarter ending on ……………….

1. Registration number issued under sub-clause…….…. of ……..…clause…………………..…………
2. Name of the Broker/Intermediary Portal……………………………………………………….…….
3. Address………………………………………………………………………………………………
   ………
4. Portal details…………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………..…
5. Toral Enquiries hosted during the quarter…………………………………………………………..
6. Details of the enquiries hosted by the Broker/B2B Platform for seller/supplier, distributor, exporter of consumer of controlled substances:—

Date of enquiry/registration posting	Controlled substance and quantity, if any and rate quoted	Name, address, telephone no, email of intending buyer	URN No. issued by	IP address	Payment details	PAN/CIN/ GST No./IEC code drug license	Copy of the registration obtained

7. Details of the enquiries hosted by the Broker/B2B Platform for Importer, Buyers or users of controlled substances:—

Date of enquiry/registration posting	Controlled substance and quantity, if any and rate quoted	Name, address, telephone no, email of intending buyer	URN No. issued by	IP address	Payment details,	PAN/CIN/ GST No./IEC code drug license	Copy of the registration obtained

Certified that the information given above is correct and the relevant records available with me/us.

Signature………………..

Name……………………

Designation……………..

Date……………….

Note : The details of the enquiries for domestic sale purchase of controlled substance other than Schedule-A need not be filed".

[F. No. N/11012/3/2010-NC-II-Part-1]

BISWAJIT SARKAR, Under Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India *vide* number GSR 191(E), dated the 26th March, 2013 and subsequently amended *vide* number GSR 186(E), dated the 27th February, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.15 16:07:36 +05'30'